अध्याय-1

पटवारियों की नियुक्ति, योग्यताऐं, दण्ड, परिवीक्षा, एवं स्थायीकरण

1. अर्हता एवं चयन प्रक्रिया : -

जिले में पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2012 तथा समय-समय पर जारी संशोधित के अनुसार की जाएगी।

2. आरक्षण रोस्टर:-

पटवारी की स्थापना में संबंधित जिला स्तर की रिक्तियों एवं आरक्षण रोस्टर की जानकारी शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों के अनुसार संबंधित जिले के भू-अभिलेख अधीक्षक द्वारा संधारित की जायेगी।

3. नियुक्तिः-

कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर काउंसलिंग के उपरांत दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (यथासंशोधित) की धारा 104(2) में निहित प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा पटवारी पद पर नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी किये जाएंगे। किसी भी चयनित उम्मीदवार की पटवारी के पद पर पदस्थापना उसकी गृह तहसील में नहीं की जाएगी।

4. परिवीक्षा अवधि:-

पटवारी के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन नियुक्ति की जायेगी। शासन द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन अनुसार परिवीक्षा अवधि में वृद्धि/कमी की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि की गणना नियुक्ति उपरांत नियत प्रशिक्षण शाला में उपस्थिति दिनांक से प्रारम्भ की जायेगी।

5. वरिष्ठता निर्धारण:-

आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा पटवारियों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची संधारित की जाएगी जिसमे पटवारियों के नाम, उनके सेवा में उपस्थित होने के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे।

परन्तु यदि एक से अधिक पटवारियों का सेवा में उपस्थित होने का दिनांक एक ही है, उस स्थिति में, पटवारियों की पारस्परिक वरिष्ठता जन्म दिनांक के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा आयु में वरिष्ठ पटवारी को सूची में आयु में कनिष्ठ पटवारी के ऊपर वरिष्ठता दी जाएगी।

सत्यापित
अनुभाग अधिकारी
म प्र शासन राजस्व विभाग

6. पदोन्नतिः-

पटवारी से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

7. स्थानांतरणः-

किसी पटवारी का एक तहसील से दूसरी तहसील में तथा एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी स्थानान्तरण नीति के प्रावधानों के तहत किया जायेगा। पटवारी की तहसील में प्रथम पदस्थापना के समय एवं समय-समय पर उसके हल्के के प्रभार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जा सकेगा।

8. आचरण नियमः-

मध्यप्रदेश में शासकीय सेवकों के सिविल सेवा संबंधी आचरण के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 यथासमय संशोधनों सहित पटवारी के संबंध में भी लागू होंगे।

9. अवकाशः-

मध्यप्रदेश में शासकीय सेवकों के लिये मध्यप्रदेश अवकाश नियम, 1977 ऐसे संशोधनों सहित, जो इसमें समय-समय पर किये जायें, पटवारियों के अवकाश के संबंध में भी लागू होंगे। पटवारियों को आकस्मिक अवकाश राजस्व निरीक्षक/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। अर्जित अवकाश के लिए 90 दिवस तक तहसीलदार द्वारा एवं इससे अधिक अवधि का अवकाश उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

10. अनुशासनात्मक कार्यवाहीः-

मध्यप्रदेश में अधीनस्थ सेवाओं के शासकीय सेवकों के दण्ड का विनियमन करने वाले मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत ऐसे संशोधनों सहित, जो इसमें समय-समय पर किये जायें, पटवारियों के दण्ड, निलंबन तथा पदच्युति का विनियमन किया जाएगा। पटवारी के विरूद्ध लघु शास्ति की कार्यवाही के लिये तहसीलदार एवं दीर्घ शास्ति की कार्यवाही के मामले में उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सक्षम प्राधिकारी होगा। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 104(2) की शक्तियाँ अधिसूचना क्रमांक 11429-सी आर-635-छह-ना-1, दिनांक 01 अक्टूबर 1959 द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रदान की गई हैं। प्रत्योजित शक्तियों के अधीन उपखण्ड अधिकारी पटवारी को पदच्युत करने का अधिकारी है।

सत्यापित

अनुभाग अधिकारी
म प्र शासन राजपत्र विभाग

11. अनुकम्पा नियुक्तिः-

पटवारी की शासकीय सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके वारिसान को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी तथा अनुकम्पा नियुक्ति शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम निर्देशों के अनुरूप की जावेगी। यदि मृत पटवारी के वारिसान को पटवारी पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है और वह प्रशिक्षण उपरान्त विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता हैं तो उसे पात्रता अनुसार रिक्त अन्य पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है।

12. प्रशिक्षणः-

पटवारी पद चयन उपरांत जिला कलेक्टर से प्राप्त सूची अनुसार संबंधित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) द्वारा नियुक्ति आदेश जारी होने पर संबंधित को नियत पटवारी प्रशिक्षण शाला में उपस्थित होकर अध्याय–2 के उपबन्धों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी नियुक्ति आदेश प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति दिनांक से प्रभावी होगा। प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित समय के भीतर उपस्थित न होने की दशा में नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।

13. परिवीक्षा अवधि की समाप्तिः-

परिवीक्षाधीन पटवारी को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित होने वाली परीक्षा तथा सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

14.स्थायीकरणः-

पटवारी पद पर स्थायीकरण दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर निम्नलिखित दो शर्तों की पूर्ति होने के उपरांत किया जाएगाः-

14.1 अध्याय दो में नियत प्रशिक्षण प्राप्त कर नियत समस्त विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत।

14.2 दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत।

15. परिवीक्षा अवधि में वृद्धिः-

पटवारी की परिवीक्षा अवधि में अधिक्तम 01 वर्ष की वृद्धि आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा मूलभूत नियमों के परिप्रेक्ष्य में युक्तियुक्त कारणों के आधार पर की जा सकेगी।

सत्यापित

अनुभाग अधिकारी

म प्र शासन राजस्व विभाग